



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-215-औसं-17/पाकालि/2022-11(4)एफ०/86(वो-111)

दिनांक: 24 जनवरी, 2022

विषय :- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-2335-औ०सं०-17/पाकालि/2020-11(4)एफ/86 (वो०-111) दिनांक 27.08.2020 एवं सपठित आदेश सं०-2735-औ०सं०-17/पाकालि/2021-11(4)एफ/86 (वो०-111) दिनांक 15.09.2021 द्वारा उपर्युक्त चिकित्सा हेतु मान्यता प्राप्त 53 निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 30.06.2022 तक विस्तारित की गयी है, के अतिरिक्त तदनुक्रम में कारपोरेशन के कार्मिकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को भी लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु दिनांक 30.06.2022 तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है :-

1. यथार्थ वेलनेस हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेण्टर, एन०एच०-32, एच०ओ०-1, सेक्टर-ओमेगा-1 ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
2. यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, एन०एच०-01, सेक्टर-110, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया, शर्तें व प्रतिबन्ध कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2335-औ०सं०-17/पाकालि/2020-11(4)एफ/86 (वो०-111) दिनांक 27.08.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार यथावत् रहेंगे।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-215 (1)औसं-17/पाकालि/2022-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्योच्चल, लखनऊ/पूर्वाञ्चल/वाराणसी/पश्चिमोच्चल/मेरठ/दक्षिणाञ्चल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

Nal

क्रमशः 2/-

9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. प्रबन्धक, यथार्थ वेलनेस हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेण्टर, एन०एच०-32, एच०ओ०-1, सेक्टर-ओमेगा-1 ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
16. प्रबन्धक, यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, एन०एच०-01, सेक्टर-110, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- ✓ 18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical / E-Book पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
19. कट फाइल।

संलग्नक :- यथोपरि।

NA Matter
24.1.22
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-2335-औस-17/पाकालि/2011-11(4)एफ/86 (वो०-111)

दिनांक 27 अगस्त, 2020

विषय :- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश संख्या-4075-औस०/2011-11(4)एफ/86 (वो०-111) दिनांक 22.12.2011 एवं सपठित आदेश सं०-2959-औस०/2012 दिनांक 18.09.2012, आदेश सं०-2713 औस०/2013 दिनांक 11.09.2013 आदेश सं०-2759-औस०/2014 दिनांक 14.08.2014, आदेश सं०-3803-औस०/2014 दिनांक 03.11.2014 एवं आदेश संख्या-1465-औस/2019 दिनांक 29.05.2019 में निहित व्यवस्था/प्राविधानानुसार विभागीय सेवकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं पारिवारिक पेंशनरों व उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की लम्बी अवधि तक बाह्य रोगों के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया सम्प्रति कारपोरेशन में प्रभावी है।

उक्त समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों एवं पारिवारिक पेंशनरों की बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली गम्भीर बीमारियों, जिनका उपचार एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि तक किया जाना है, के उपचार पर औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिपादित व्यवस्था को यथावत् रखा जाता है :-

क- बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली गम्भीर रोगों के उपचार में औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा संस्थान/मेडिकल कालेज/चिकित्सालय के सम्बन्धित रोग के विभागीय रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष (रोग का उपचार करने वाले)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ऐसी चिकित्सा में औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की संस्तुति हेतु अर्ह/अधिकृत किया जाता है, और उनके द्वारा बाह्य रोगी हेतु निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essentiality Certificate) एवं व्यय सम्बन्धी ऐसे बीजकों के सत्यापन किये जाने के उपरान्त रोगी कर्मचारी द्वारा कारपोरेशन के सक्षम स्तर पर ऐसे बीजकों को प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।

ख- बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाले गम्भीर रोगों हेतु निजी चिकित्सालयों, जिनकी सूची आदेश में इंगित है, में कराये गये उपचार में औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निजी सुपर स्पेशियलिटी/एकल विशिष्टता के चिकित्सालयों के सम्बन्धित रोग विशेषज्ञ/अधिकृत चिकित्सक को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की संस्तुति/सत्यापन हेतु अर्ह/अधिकृत किया जाता है, जिनके द्वारा ऐसे लम्बे उपचार के लिए दिये गये परामर्श के अनुसार निर्धारित औषधियों पर हुए व्यय के बीजकों एवं बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार सम्बन्धी निर्धारित अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essentiality Certificate) के सत्यापन करने पर कारपोरेशन के सक्षम स्तर पर कार्मिक द्वारा सत्यापित बीजकों को प्रस्तुत किये जाने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।

क्रमशः 2/-

- ग- बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जॉच में हुए व्यय, तथा भोजन/न्यूटीशस वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें/टॉनिक तथा साफ सफाई सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- घ- बाह्य रोगी के रूप में किसी भी चिकित्सालय में करायी गयी कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी की चिकित्सा विधि एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाओं आदि पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी। सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की प्रतिपूर्ति तथा डायलिसिस के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।

उक्त नीति के अन्तर्गत कारपोरेशन के आदेश संख्या-3330-औसं/2018 दिनांक 8.08.2018 द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरों पर कारपोरेशन द्वारा लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु दिनांक 31.07.2021 तक के लिए निम्नांकित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान की जाती है :-

निजी चिकित्सालयों की सूची

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रमावी तिथि
लखनऊ 1	विवेकानन्द पॉलीक्लीनिक एण्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राम कृष्ण मिशन सेवाश्रम विवेकानन्दपुरम्, लखनऊ।	31.07.2021
2	फातिमा हास्पिटल महानगर, लखनऊ।	31.07.2021
3	सेन्ट जोसेफ हास्पिटल गोमती नगर, लखनऊ।	31.07.2021
4	सेन्ट मैरी पॉलीक्लीनिक, गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ।	31.07.2021
5	नूर मंजिल साइक्याट्रिक सेण्टर, लालबाग, लखनऊ।	31.07.2021
6	अवध हास्पिटल, सिंगारनगर, कानपुर रोड आलमबाग, लखनऊ।	31.07.2021
7	चिरंजीव हास्पिटल, गोमतीनगर, लखनऊ (हृदय के रोगों हेतु मेडिसिन)	31.07.2021
8	शेखर हास्पिटल, चर्च रोड इन्दिरानगर, सी-ब्लॉक, लखनऊ।	31.07.2021
9	प्रकाश नेत्र केन्द्र, गोमतीनगर, लखनऊ।	31.07.2021
10	लखनऊ कैंसर इन्स्टीट्यूट, जियामऊ, लखनऊ।	31.07.2021
11	चन्द्रा मदर एण्ड आई केयर, 4/43, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	31.07.2021
12	अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आई0वी0एफ0 सेण्टर प्राईवेट लिमिटेड, 765 ए0बी0सी0 काम्प्लेक्स, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	31.07.2021
13	ओ0पी0 चौधरी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, चौधरी बिहार, रायबरेली रोड, लखनऊ	31.07.2021
14	एस0सी0 त्रिवेदी मैमोरियल मदर एण्ड चाइल्ड ट्रस्ट हॉस्पिटल, ए-1/7, सेक्टर-एच, निकट केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।	31.07.2021
15	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेण्टर, बी-55 एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर, लखनऊ।	31.07.2021
16	डिवाइन हार्ट हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, विराज खण्ड-गोमती नगर, लखनऊ।	31.07.2021

क्रमशः 3/-

17	स्कार्ट ई0एन0टी0 हॉस्पिटल, महानगर, लखनऊ।	31.07.2021
18	फोर्ड (नोवा) हॉस्पिटल, विकास खण्ड-1, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।	31.07.2021
19	चन्दन हॉस्पिटल, फैजाबाद रोड, निकट चिन्हट फ्लाईओवर विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	31.07.2021
नोयडा 20	मैट्रो हास्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, सेक्टर-11 व 12, नोएडा।	31.07.2021
21	कैलाश हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेक्टर, एच-33, सेक्टर-27, नोयडा।	31.07.2021
गाजियाबाद 22	यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेक्टर, IIIrd एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद।	31.07.2021
23	नरेन्द्र मोहन हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेक्टर, गाजियाबाद।	31.07.2021
मेरठ 24	जसवन्त राय स्पेशियल्टी हास्पिटल, मवाना रोड मेरठ।	31.07.2021
25	सेण्ट ल्यूक्स हास्पिटल, साकेत, मेरठ।	31.07.2021
26	लोकप्रिय हास्पिटल सम्राट पैलेस, गढ़ रोड मेरठ।	31.07.2021
27	धनवन्तरि जीवन रेखा हास्पिटल, 1-साकेत, मेरठ।	31.07.2021
28	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेक्टर, 47/जी-5 बाउन्ड्री रोड लालकुर्ती, मेरठ।	31.07.2021
प्रयागराज 29	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेक्टर, इलाहाबाद।	31.07.2021
30	नाजरथ हास्पिटल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।	31.07.2021
31	प्राची हॉस्पिटल, सेक्टर-सी-105, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद।	31.07.2021
32	हार्ट लाइन कार्डियक केयर सेक्टर, इलाहाबाद।	31.07.2021
33	सरस्वती हार्ट केयर एण्ड रिसर्च सेक्टर (प्रा0)लि0, इलाहाबाद।	31.07.2021
34	जीवन ज्योति हॉस्पिटल, फाफामऊ, इलाहाबाद।	31.07.2021
गोरखपुर 35	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखपुर।	31.07.2021
वाराणसी 36	हेरिटेज हास्पिटल, लंका, वाराणसी।	31.07.2021
37	काशी हॉस्पिटल, भिखारीपुर, हाइडिल गेट, डी0एल0डब्लू, चुनार रोड, वाराणसी।	31.07.2021
38	बी0के0 हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा0लि0, नेवादा डी0एल0डब्लू0 रोड, वाराणसी।	31.07.2021

मथुरा 39	नयति मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सांवरिया गैस स्टेशन के पीछे, नेशनल हाईवे-2, आगरा बाई पास रोड, मथुरा।	31.07.2021
आगरा 40	आई0आई0एम0टी0 हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, गणेशनगर, लॉयर्स कालोनी, बाईपास रोड, आगरा।	31.07.2021
झांसी 41	हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, झांसी।	31.07.2021
मुरादाबाद 42	विवेकानन्द हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कांठ रोड मुरादाबाद।	31.07.2021
बरेली 43	क्लैरा स्क्वेन मिशन हॉस्पिटल, बरेली।	31.07.2021
44	धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, पीलीभीत रोड, बरेली।	31.07.2021
कानपुर 45	चौदनी हास्पिटल, आर्यनगर, कानपुर।	31.07.2021
46	डा0 जवाहर लाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हास्पिटल, सर्वोदय नगर, कानपुर।	31.07.2021
प्रदेश के बाहर वाह्य रोगी के रूप में उपचार कराने हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की सूची		
गुड़गाँव (हरियाणा) 47	मेदान्ता द मेडिसिटी हॉस्पिटल, सेक्टर-38 गुड़गाँव हरियाणा।	31.07.2021
दिल्ली 48	ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली।	31.07.2021
49	फोर्टिस एस्काट हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर, लि0, ओखला रोड नई दिल्ली	31.07.2021
50	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।	31.07.2021
51	सरगंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली।	31.07.2021
मुम्बई 52	टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, डा0 ई बोरगेस रोड, परेल, मुम्बई।	31.07.2021
चेन्नई 53	शंकर नेत्रालय, चेन्नई।	31.07.2021
54	अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई।	31.07.2021

संलग्न : अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (वाह्य रोगी)

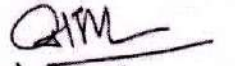
अध्यक्ष

संख्या-2335-औस-17/पाकालि/2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

5. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वें तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल/वाराणसी/पश्चिमांचल/मेरठ/ दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical / E-Book पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।


 (ए0के0 पुरवार)

 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र (ESSENTIALITY CERTIFICATE) का प्रपत्र
(वाह्य रोगी की हैसियत से लम्बी अवधि के उपचार के मामलों में भरा जाये।)

1. रोगी का नाम :
2. कारपोरेशन के सेवक का नाम व पदनाम :
जिस पर रोगी पूर्णतः आश्रित है।
3. कारपोरेशन के सेवक से रोगी का सम्बन्ध :
4. कारपोरेशन के सेवक का वेतन मैट्रिक्स तालिका सं०-
(मूल वेतन रु०.....) : चिकित्सा के समय मूल वेतन।
मैं, डा० यह प्रमाणित करता हूँ :-

रोगी का नवीनतम फोटो
अधिकृत चिकित्सक द्वारा
प्रमाणित हस्ताक्षर व
मोहरयुक्त

1. उपर्युक्त रोगी जो/जिसका (बीमारी का नाम) से ग्रसित था, ने
मुझे रोग के निदान हेतु दिनांक को सम्पर्क किया।
2. (अ) मैंने उनका गहन परीक्षण किया तथा (परीक्षण का नाम) हेतु उन्हें
..... (चिकित्सा संस्थान का नाम व पता) से उक्त परीक्षणार्थ सन्दर्भित किया।
(ब) व (स) भरें यदि लागू हो :-
(ब) उपरोक्त बीमारी आयकर अधिनियम 1961 के नियम 3(ए) में उल्लिखित रोगों के अन्तर्गत आती है तथा हम (अस्पताल)
प्रिसिपल मुख्य आयुक्त (आयकर) एवं मुख्य आयुक्त (आयकर) द्वारा नियम 3(ए) के तहत उल्लिखित बीमारी के उपचार
के उद्देश्य से तारीख से तक अनुमोदित है। (प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
(स) यह अस्पताल लागू रूप में टिक करें, () सरकार द्वारा अनुमोदित / () स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित / ()
अपने कर्मचारियों के उपचार के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित हैं।
3. प्रश्नगत परीक्षण/उपचार के लिये चिकित्सालय में भर्ती होना अनिवार्य नहीं होता, किन्तु निम्नलिखित औषधियों की रोग
से छुटकारा पाने के लिये अत्यन्त आवश्यकता होती है, जिसमें टॉनिक, पौष्टिक आहार एवं प्रसाधन सामग्री सम्मिलित
नहीं है :-

क्र०सं०	औषधि का नाम	मात्रा	कुल धनराशि (रु०)

कुल रु०.....

धनराशि शब्दों में.....

प्रश्नगत परीक्षण जिसका नाम..... है। मेरे परामर्शानुसार ही कराया गया, जिस पर कुल
रु०..... (शब्दों में)..... व्यय हुआ, जो राजकीय दर सूची के समतुल्य है।

कारपोरेशन के सेवक के हस्ताक्षर

अधिकृत चिकित्सक
(ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट) का रबर
स्टैम्प सहित हस्ताक्षर